

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2549

दिनांक 01-09-2015

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2015 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार जी.आई.सी.टी.एस., ग्वालियर को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती हैं।

निरीक्षण समिति द्वारा अंकित टीप :-

1. महाविद्यालय शीघ्र ही 03 प्रोफेसर, 03 एसोसिएट प्रोफेसर एवं 11 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां परिणियम 28 के अन्तर्गत करें। साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष, कीडा अधिकारी एवं टेक्नीकल स्टाफ की नियुक्तियां परिणियम 28 के अन्तर्गत शीघ्र ही की जावे।
2. ए.आई.सी.टी.ई. एवं डी.टी.ई. से कमशः 2014-15 के लिए अप्रूवल लेटर एवं एन.ओ. सी. प्रस्तुत की जावे।
3. वर्ष 2013-14 का ऑडिट स्टेटमेंट प्रस्तुत करें।
4. एन.एस.एस. की इकाई का गठन किया जावे।
5. छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु 25,000/- की खेल सामग्री कय की जावे उपरोक्त शर्तों की पूर्ति 3 माह में आवश्यक रूप से कर विश्वविद्यालय को समय पर सूचित करें।

आदेशानुसार


कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, जी.आई.सी.टी.एस., ग्वालियर।
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंदिरा गांधी खेल परिसर, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अधिष्ठाता,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्